उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-256/2024/1745/41-2-2024-03-Budget-2024
लखनऊ दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4487/6-1-1(453)/2023-24, दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में नक्का कुआँ के पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शुद्धि पत्र संख्या-134/2024/476/41-2-2024-03-Budget-2024, दिनांक 15 मार्च, 2024 में अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत धनराशि 303.94 लाख (रूपये तीन करोड़ तीन लाख चौरानवे हजार मात्र) के स्थान पर अप्रेजल समिति की पुन: आहूत बैठक दिनांक 05.09.2024 में परियोजना की मूल्यांकित लागत रू0 303.94 लाख के स्थान पर रू0 316.32 लाख आंकलित की गयी है। अतएव प्रश्नगत परियोजना हेतु रू0 316.32 लाख (तीन करोड़ सोलह लाख बत्तीस हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शुद्धि पत्र दिनांक 15.03.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, हापुड़।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- उप सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- उप निदेशक पर्यटन, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
9- उप निदेशक (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in